उप-विभाजन एवं अपखण्डन की हानियाँ या दुष्परिणाम
अथवा
छोटे खेतों या जोतों के छोटे होने के परिणाम

उप-विभाजन एवं अपखण्डन के जो लाभ दिये गये हैं वे हानियों के आगे निरर्थक हो जाते हैं और एक विकसित समाज की दृष्टि से अधिक महत्व के नहीं रहते हैं। इनकी मुख्य हानियाँ निम्नलिखित हैं जिन्हें **उप-विभाजन एवं अपखण्डन के दोष या जोतों के छोटे होने के परिणाम या लघु एवं सीमान्त कृषि के दुष्परिणाम या समस्याएं कहा जाता है** :

(1) **पूंजीगत साधनों का अपूर्ण उपयोग**—उप-विभाजन एवं अपखण्डन का मुख्य दोष या हानि यह है कि खेतों का क्षेत्रफल छोटा होने के कारण बैलों व खेती के औजारों को पूरा काम नहीं मिलता है जिसका परिणाम यह होता है कि प्रति इकाई उत्पादन लागत अधिक बैठती है जिससे इनमें उत्पादन लाभप्रद नहीं होता है।

(2) **कृषि के विकास में बाधक**—डॉ. जैड. ए. अहमद के अनुसार, "**छोटे खेत समृद्धिशाली कृषि के विकास में बाधा डालते हैं, क्योंकि वैज्ञानिक उपकरणों एवं उत्तम प्रकार के बीजों का इनमें उपयोग नहीं किया जा सकता है।**"[1]

(3) **सिंचाई में कठिनाई**—छोटे-छोटे खेतों में सिंचाई की व्यवस्था करने में बड़ी कठिनाई होती है और कृषक के लिए यह सम्भव नहीं होता है कि सभी छोटे खेतों में ट्यूबवैल का निर्माण करा सके। यदि एक बार को सभी खेतों पर सिंचाई की व्यवस्था कर भी दी जाय तो फिर ट्यूबवैलों का पूरा उपयोग नहीं हो सकता है।

(4) **देखभाल में कठिनाई**—छोटे-छोटे भू-खण्ड होने से सभी भू-खण्डों की उचित व्यवस्था नहीं हो पाती है और न सभी की उचित देखभाल हो पाती है जिसके परिणामस्वरूप फसल कम मात्रा में ही होती है।

(5) **विवादों में वृद्धि**—सामान्यतया प्रत्येक खेत की बाउण्ड्री मिट्टी की मेड़ की होती है जो पारस्परिक विवादों की जड़ होती है और यह पाया जाता है कि पड़ोसी द्वारा मेड़ काटकर अपने खेत में मिला लिया जाता है जिसके परिणामस्वरूप विवाद छिड़ जाते हैं जिसके कभी-कभी बड़े गम्भीर परिणाम होते हैं।

(6) **भूमि का अपव्यय**—उप-विभाजन व अपखण्डन की हानि यह है कि इसमें खेतों की बाउण्ड्री लगाने में बहुत-सी भूमि व्यर्थ ही बिना उपयोग के रह जाती है जिसे भूमि का अपव्यय कहा जाता है। ऐसा अनुमान है कि 10 प्रतिशत भूमि का इस प्रकार अपव्यय होता है।

(7) **अर्ध-बेरोजगारी**—कृषि जोतों के छोटे होने के कारण कृषक के पूरे परिवार को वर्ष भर काम नहीं मिल पाता है और इस प्रकार वे अर्ध-बेरोजगारी की स्थिति में रहते हैं। परिणामतः उनको जीवनयापन के लिए अन्यत्र काम पर जाना पड़ता है या उधार लेकर गुजारा करना पड़ता है।

(8) **श्रम एवं अन्य साधनों का अपव्यय**—भूमि के अपखण्डन एवं उप-विभाजन से श्रम एवं अन्य साधनों का अपव्यय होता है, क्योंकि कृषक के द्वारा इन सभी साधनों को एक खेत से दूसरे खेत व फिर तीसरे खेत पर ले जाना पड़ता है। इस प्रकार यह अपखण्डन एवं उप-विभाजन का एक दोष है।

(9) **निम्न जीवन-स्तर**—छोटी-छोटी जोतों के होने के कारण कृषक की खेती अनार्थिक रहती है और वह अपनी अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति भी नहीं कर पाता है जिससे उसका जीवन-स्तर निम्न बना रहता है।

(10) **भूमि की उर्वरा शक्ति का ह्रास**—यदि भूमि को बिना जोते कभी-कभी छोड़ दिया जाय तो उसमें उर्वरा शक्ति बनी रहती है, लेकिन यदि उस पर बराबर खेती होती रहे तो उसमें ह्रास होता है। उप-विभाजन एवं अपखण्डन के कारण खेत छोटे-छोटे हो जाते हैं जिससे जीवनयापन के लिए निरन्तर खेती करना आवश्यक हो जाता है इससे भूमि की उर्वरा शक्ति का ह्रास होता है।

(11) **भूमि सुधार में बाधा**—भूमि का उप-विभाजन व अपखण्डन भूमि सुधार में बाधा उत्पन्न करता है।

(12) **हरित क्रान्ति में बाधा**—भूमि का उप-विभाजन व अपखण्डन हरित क्रान्ति में एक बाधा बना हुआ है। छोटे किसान इस हरित क्रान्ति का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। सिंचाई, उन्नत बीज, रासायनिक खाद की व्यवस्था सभी खेतों पर नहीं कर पाते हैं और खेतों को भाग्य पर छोड़ दिया जाता है।

1 Dr. Z. A. Ahmed, *The Agrarian Problem in India*, pp. 3-4.

Scanned with CamScanner